कार्यालय, नगर पालिक निगम, इन्दौर

स्वच्छ भारत मिशन

क्रमांक 51/SBM/21-22 **दिनांक 06/05/2021**

आदेश

विषयः– इन्दौर नगर सीमा स्थित (होटल, रेस्टोरेन्ट, स्कूल/कॉलेज/हॉस्पिटल/नर्सिंग होम/रहवासी संघ/मार्केट एसोसिएशन आदि खाद्य इकाईयों से निकलने वाले Bio-Degradable Waste (जैव अवक्रमणीय अपशिष्ठ) का उपचार एवं निपटान करने के संबंध में।

सदंर्भः– ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियम-2016 तथा नगर निगम परिषद् प्रस्ताव क्र. 02 दिनांक 13/06/2017

विषयान्तर्गत इंदौर निगम सीमा क्षेत्र में स्थित विभिन्न होटल/रेस्टोरेंट/मैरिज गार्डन/अस्पताल/रहवासी संघ/मोहल्ला/मार्केट एसोसिएशन आदि नियमित रूप से प्रतिदिन 50 किलो अर्थात् उससे अधिक गैस अपशिष्ट उत्पन्न करते है। इसी के साथ-साथ कई स्कूल, कॉलेजों में नियमित किचन संचालित होते हैं तथा कई अस्पताल/नर्सिंग होम में स्थित कॅन्टीन में भी 30 किलो अर्थात् उससे अधिक Bio-Degradable (जैव अवक्रमणीय अपशिष्ठ) प्रतिदिन उत्पन्न होता है। इसी प्रकार शहर में स्थित कई सामाजिक धर्मशालाएँ, मध्यान्ह भोजन तैयार करने वाली के समान संस्थाएं अथवा ऐसे हलवाई / विभिन्न मिष्ठान भण्डारों की फेक्टरी, बेकरी की फैक्ट्री में भी प्रतिदिन 30 किलो अर्थात् इससे अधिक प्रतिदिन अथवा माह के अधिकांश दिवसों में 30 किलो अर्थात उससे अधिक Bio-Degradable (जैव अवक्रमणीय अपशिष्ठ) उत्पन्न होता है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के राजपत्र में प्रकाशित सूचना 2016 के क्रम में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 सम्पूर्ण देश में प्रभावशील किया गया है। यह नियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की सुसंगत धाराओं के तहत केन्द्रीय मंत्रालय को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर जारी किए गए है। इस नियम के नियम-4 एवं नियम-15 के प्रावधानों के तहत उपरोक्त वर्णित श्रेणी के संस्थानों में इनसे उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट स्त्रोत पर पृथक-पृथक करना, पृथक किए गए अपशिष्ठ (Wet waste and Dry waste) को अलग-अलग डस्ट बिन में संग्रह करना प्रावधानित किया है। इन संस्थानों में निम्न 02 कैटेगरी के अपशिष्ठ उत्पन्न होनेए जिन्हें नीले एवं हरे रंग के डस्टबीन में निम्नानुसार रखा जाना होगा -

(अ) Wet waste (गीला कचरा) - इससे तात्पर्य सम्पूर्ण किचन वेस्ट फल सब्जी के छिलके, बचा हुआ खाना, पत्तियाँ आदि शामिल होगी, इस कचरे को Wet waste (गीला कचरा) भी कहा जाता है। इसे हरे रंग की बड़ी डस्टबिन में रखना होगा तथा इसके उपचार के कम्पोस्ट अथवा बायोमिथेनेशन मशीन आदि लगाई जाना उक्त संस्थाओं को सुनिश्चित करना है।

(ब) Dry waste (सूखा कचरा) - इससे तात्पर्य उपरोक्त वर्णित संस्थानों में उत्पन्न होने वाला कचरा जैसे कागज, प्लास्टिक, कांच, लोहा, कपडा, चगडे से बनी सामग्री, पॉलिथिन आदि से है. इसे नीले रंग की डस्टबिन में रखा जाना अनिवार्य है। इस कचरे में कई ऐसी भी सामग्री, Recycle अथवा पुर्नचक्रणीय सम्मिलित रहती है। नगर निगम द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति जो रेगपिकर (Ragpicker) संस्था के सदस्य भी हो सकते है इस श्रेणी के रिसाईकिल मटेरियल सौंपना उक्त संस्थान सुनिश्चित करेंगे।

नगर निगम, इंदौर इन संस्थानों से रिसाईकल होने वाली Dry Waste (सूखा कचरा) में प्लास्टिक, प्लास्टिक वेस्ट के अतिरिक्त सूखा कचरा, ई-वेस्ट, घरेलु हानिकारक कचरा की सामग्री के संग्रहण हेतु अपशिष्ट उठाने वाले को प्राधिकृत कर दिया जायेगा। इन संस्थानों को नगर निगम द्वारा प्राधिकृत अपशिष्ट उठाने वाले व्यक्तियों को अपने संस्थान में ड्राय वेस्ट पुनचक्रणीय सामग्री सौंपना सुनिश्चित करना होगा।

"अ" श्रेणी के गीले कचरे के लिए उक्त नियम 2016 में परिसर के अंदर ही स्थित प्रसंस्करण सुविधा जैसे कम्पोस्ट पिट, बायो गैस प्लांट या संस्थान द्वारा चयनित तकनीकी स्थापित करने का उल्लेख नियमों में है साथ ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 के नियम 15 (ड) के तहत स्थानीय निकाय अर्थात नगर निगम, इंदौर को नियमों का पालन कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था बनाना व उसे समय पर क्रियान्वित कराने के अधिकार प्रदत्त है। इन अधिकारों के परिपालन में नगर निगम परिषद प्रस्ताव क्रं. 02 दिनांक 13/06/17 के तहत निगम परिषद द्वारा यह सकल्प पारित किया गया है, कि उपरोक्त

पैरा 1 में वर्णित संस्थानों से निकलने वाले उक्त (अ) श्रेणी के जैविक अपशिष्ठ की कम्पोस्टिंग विभिन्न पद्धतियों से किए जाने हेतु बाध्यकारी रहेंगी। इस कार्य हेतु निगम परिषद द्वारा 02 माह का समय निर्धारित किया गया है जिसके तहत उक्त वर्णित सभी संस्थान उनके यहाँ उत्पन्न होने वाले गीले कचरे के उपचार हेतु Organic waste convertor/Aerobic pit Composting/Bio Gas Plant में से किसी भी एक पद्धति से उपचारित करना है जो इस आदेश के जारी होने के उपरांत निर्धारित अवधि में अनिवार्य रूप से किया जाना बाध्यकारी किया जाता है।

प्रथम पैरा में वर्णित विभिन्न ऐसी संस्थाएं जहाँ 30 किलो या उससे अधिक गीला कचरा उत्पन्न हो रहा है उन्हें 30 मई, 2021 तक उपरोक्तानुसार प्रसंस्करण स्थापना करना अनिवार्य रहेगा। जिन संस्थाओं द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर लेंगे, उसकी सूचना नगर पालिक निगम, इंदौर के स्वच्छ भारत मिशन की E-mail ID – indore.cleanestcity@gmail.com पर अवगत करावेंगे।

चूंकि ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियम 2016 एवं परिषद संकल्प क्र. 02 दिनांक 13/06/17 पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के तहत जारी किए गए है। अतः इन निर्देशों के उल्लंघन में समस्त संस्थायें पर्यावरण अधिनियम 1986 के नियम 15 (1) के तहत दण्ड के भागीदार होंगे। अतः उल्लंघन की दशा में संबंधित न्यायालय में ऐसी संस्थानों के विरुद्ध नगर निगम द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया जायेगा।

(आदेश तत्काल प्रभावशील होगा)

आयुक्त
नगर पालिक निगम, इंदौर